राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के अभिभाषक का नाम
1.	1510 / 2015	दलवीर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव (गृह), गृह मंत्रालय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. कमाण्डेंट, द्वितीय बटालियन, आर.ए.सी., कोटा।	श्री एम.एस. राघव एवं वी.एस. सैनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	1511 / 2015	हरि ओम सिंह		
3.	1512 / 2015	ईकराम खान		
4.	1513 / 2015	किरण वीर सिंह		
5.	1514 / 2015	भंवर लाल		
6.	1515 / 2015	महावीर प्रसाद		

आदेश की दिनांक : 04.06.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 1510 / 2015 दलवीर सिंह की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को 1997 बैच में आरएसी में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। तदनुसार वह नौ साल की संतोषजनक सेवा वर्ष 2006 में पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान के लिए पात्र हो गया। संशोधित वेतनमान नियमों के अनुसार प्रथम चयनित ग्रेड अगले दिन से दिया जाएगा जिस पर नौ वर्ष की सेवा पूरी करता है, बशर्ते कि कर्मचारी को उसके मौजूदा कैडर में पहले एक भी पदोन्नति न मिली हो। द्वितीय चयनित ग्रेड उस दिन के अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन कोई व्यक्ति अठारह वर्ष की सेवा पूरी करेगा, बशर्ते कि कर्मचारी को पहली दो पदोन्नति न मिली हो। तृतीय चयनित ग्रेड 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के अगले दिन से प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि उस कर्मचारी को पहले तीन पदोन्नति न मिली हो। नौ, अठारह या सत्ताईस वर्ष की सेवा, भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार मौजूदा कैडर / सेवा में पहली नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा। आदेश दिनांक 25.01.1992 की प्रति अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है। प्रथम चयनित ग्रेड उस दिन से अगले दिन से दिया जाएगा जिस दिन 09 वर्ष की सेवा पूरी होगी, बशर्ते कि कर्मचारी को मौजूदा कैडर में पहले एक पदोन्नति न मिली हो। आदेश दिनांक 25.01.1992 के बाद प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 11.01.1999 (अनुलग्नक–2) द्वारा परिपत्र जारी किया, जिसके अनुसार चयनित वेतनमान हेतु सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथी दिनांक से ही मानी जायेगी। दिनांक 01.09.2006 से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप संशोधित वेतनमान लागू

हुआ। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 बनाए। इसके अनुसार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान, 2008 के लिए दिनांक 01.09.2006 या आगे की किसी तारीख से अपना विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक था। नवीन वेतनमान में कर्मियों को विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक था। अपीलार्थी के नियमों की जानकारी के अभाव में 01.09.2006 से अपना विकल्प प्रस्तुत किया जबकि वह 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् की तिथी का विकल्प प्रस्तुत कर सकता था ताकि वह संशोधन वेतनमान में उच्चतर वेतन श्रृंखला का लाभ प्राप्त कर सके। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद और उसके अनुसरण में नियम 2008 अस्तित्व में आए, जिन्हें अधिसूचना दिनांक 06.10.2008 द्वारा संशोधित किया गया। 2008 के इन संशोधित नियमों में नियम 20 राज्य सेवा अधिकारियों के लिए एसीपी की योजना से संबंधित है। संशोधित नियम 2008 का मूल उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान करना है। अपीलार्थी ने वर्ष 2006 में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, परन्तु दिनांक 01.06.2002 के बाद उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया लेकिन दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न होने के आधार पर आदेश दिनांक 08.02.2008 (अनुलग्नक–3) द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान के लाभों को निरस्त कर दिया और अपीलार्थी को एसीपी देयता की दिनांक से पांच साल की अवधि के लिए अपात्र मान लिया। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी से अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूल की गई। समान स्थिति वाले कांस्टेबल को 9300–34800 रुपये के रनिंग पे बैंड में रखा गया है, जबकि अपीलार्थी अभी भी 5200–20200 रुपये के वेतनमान में है। जबकि आदेश दिनांक 25.01.1992 में स्पष्ट अंकित है कि चयनित वेतनमान हेतु सेवाओं की गणना नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से की जाएगी और पांच साल का प्रतिबंध 2011 में समाप्त हो गया। इसी प्रकार 18 साल की सेवाओं की गणना नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से की जाएगी। अपीलार्थी की वेतन पर्ची अनुलग्नक–4 और समान स्थिति वाले कांस्टेबलों के वेतन निर्धारण आदेश की प्रति अनुलग्नक–5 पर अंकित है। अपीलार्थी वर्ष 2006 में 9 साल की सेवा पूरी करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ पाने का हकदार है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग की अधिसूचना के कारण 2011 से अपीलार्थी को यह लाभ देना अवैध है। अपीलार्थी को उक्त प्रतिबंध के कारण पदोन्नति परीक्षा में भी भाग नहीं ले पाया एवं उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब इस स्तर पर अपीलार्थी अन्य सहकर्मियों के बराबर वेतन और सुविधाएं पाने का हकदार हो गया है, तो प्रत्यर्थी विभाग ने यू–टर्न ले लिया है और दिनांक 25.05.2015 (अनुलग्नक–6) द्वारा अवैध रूप से द्वितीय चयनित वेतनमान (एसीपी) का लाभ देने से इंकार कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7896/2015 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक

02.07.2015 (अनुलग्नक–7) द्वारा माननीय अधिकरण में अपील दायर करने के निर्देश दिए गए।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में निम्न अनुतोष चाहा हैः–

> "It is therefore humbly prayed that the appeal may be allowed and the impugned order dated 25/5/2015 (Ann-6) may be quashed and set aside and further, direct the respondents accord the relaxation to the appellant to to re-exercise the option to be governed by the Revised Pay Scale Rules 2008 from the date completion of 18 years service, of on completion of 2nd Selection scale in the old pay scale with all consequential benefits.
>
> Any other appropriate order direction just or deems fit may kindly be passed in favour of the appellant."

इन समस्त अपीलों में अधिकरण ने आदेश दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.05.2015 (अनुलग्नक–6) के अन्तर्गत की जाने वाली राशि की वसूली, यदि नहीं की गई है तो, अधिकरण के आगामी आदेश तक वसूली पर रोक लगाई गई।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनेक अवसर देने के बावजूद इन अपीलों में जवाब पेश नहीं किया।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.05.2015 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वित्त विभाग के मेमोरेंडम दिनांक 31.12.2009 के पैरा संख्या 2 (8) (iii) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान या अधिक होने पर एसीपी देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी को पूर्व में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की गई। प्रथम एसीपी को निरस्त कर पुनः वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया। अपीलार्थी को पहले 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया परन्तु दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के आधार पर जारी स्वीकृति निरस्त कर इसे 5 वर्ष के लिए डेफर कर दिया एवं आलौच्य आदेश द्वारा इसे निरस्त कर दिया एवं अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर द्वितीय एसीपी भी स्वीकृत नहीं की। अपीलार्थी की तरफ से बहस में निवेदन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 में दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान पैदा होने की स्थिति में निश्चित समयावधि तक पदोन्नति रोकने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है और ऐसे सभी प्रकरणों में छाया पद सृजित कर पदोन्नति देय होने की दिनांक से पदोन्नति करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु इन प्रकरणों में पदोन्नति के आगे के तीन वर्षों में वार्षिक

वेतन वृद्धि नोशनल आधार पर स्वीकृत की जायेगी और उसके पश्चात वास्तविक लाभ के साथ वास्तविक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जारी कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2023 की ओर ध्यान आकृषित कर निवेदन किया कि वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 31.12.2009 में एसीपी को पदोन्नति के बदले में स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई है। अतः जब अपीलार्थी पदोन्नति हेतु पात्र हो जाता है तो उस तिथि से उसे एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृत की जानी चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 31.12.2009 में एसीपी की स्वीकृति के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैः–

> "(9) In the matter of disciplinary / penalty proceedings, grant of benefit under the ACPS shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 and instructions issued thereunder."

अतः देय तिथियों से एसीपी स्वीकृत करने एवं संशोधित वेतनमान नियम 2008 के तहत पहले से प्रस्तुत विकल्प को पुनः प्रस्तुत करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि समस्त कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/नियम/मेमोरेंडम अनुसार की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान या अधिक संतान होने के आधार पर पूर्व आदेशों द्वारा रोकी गई पदोन्नति को अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा पदोन्नति देय होने की तिथी से पदोन्नति देने का प्रावधान कर दिया गया है, इससे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने के आधार पर किसी रूप से पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती है, उसे देय तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा परन्तु पदोन्नति से निश्चित समयावधि तक काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी उसके पश्चात् वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इसके अनुसार कार्यवाही करने हेतु कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को परिपत्र दिनांक 24.05.2023 जारी किया गया है। परन्तु प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा उसकी दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी या अधिक संतान होने के आधार पर पदोन्नति रोकने बाबत कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया एवं नहीं पदोन्नति दिलाने के संबंध में कोई अनुतोष चाहा गया है। प्रस्तुत अपीलों में एसीपी को स्वीकृत कराये जाने का अनुतोष चाहा है। वित्त विभाग द्वारा मेमोरेंडम दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 2 (8) (iii) में निम्न प्रावधान हैः–

> "The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. But the employee having more

than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the rumber of children he / she has on 01.06.2002, does not increase."

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 द्वारा विद्यमान प्रावधान को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया हैः–

"The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting ACP. An employee who has more than 2 children on or after 01.06.2002 shall not be granted next ACP for 5 years from the date on which his ACP is became due and it would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation. The employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01-06-2002 does not increase.

This order shall come into force with iminediate effect."

इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान या अधिक संतान पैदा होने पर लोक सेवक को एसीपी का लाभ देय तिथी से 5 वर्ष तक देय नहीं है। उसके पश्चात मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 की तिथी से देय होगा क्योंकि इसको दिनांक 06.10.2015 से प्रभावी किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रभात सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (सिविल रिट नं. 10159/2015) एवं श्रीराम बारूपाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1024/2018) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि एक ही कारण के आधार पर दो बार दंडित नहीं किया जा सकता अर्थात् दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के आधार पर लोक सेवक की पदोन्नति एवं एसीपी दोनों नहीं रोकी जा सकती किसी एक दंड से दंडित किया जा सकता। परन्तु इन अपीलों में अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया कि उन्हें इस आधार पर पदोन्नति परीक्षा में बैठने से वंचित रखा गया हो। अतः हम यह पाते है कि आलौच्य आदेश में तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार पूर्व में स्वीकृत एसीपी को निरस्त करने एवं द्वितीय एसीपी स्वीकृत नहीं करने की कार्यवाही नियमानुसार थी परन्तु वित्त विभाग ने ममोरेंडम दिनांक 31.12.2009 द्वारा ऐसे प्रकरणों में दिनांक 06.10.2015 से एसीपी स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को वित्त विभाग के मेमोरेंडम दिनांक 31.12.2009 की अनुपालना में प्रथम एवं द्वितीय एसीपी स्वीकृत की जावे।

जहां तक आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2015 के प्रभाव से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब

बनाम रफीक मसीह में राजकीय कार्मिकों की वसूली के संबंध में सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये थे। जिसमें कर्मचारी को अधिक भुगतान राशि वसूल नहीं की जा सकती यदि इसमें कर्मचारी की त्रुटि या गलती नहीं है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2015 के वसूली कार्यवाही को अपास्त किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.08.2015 को पुष्ठ (Confirm) किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा संशोधित वेतनमान नियम 2008 में पहले से प्रस्तुत विकल्प के स्थान पर पुनः विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान के पश्चात की तिथी का विकल्प देना चाहता है। अपीलार्थी का यह अनुतोष नियमानुसार नहीं होने से इसे अस्वीकार किया जाता है। उक्त सभी अपीलें उक्तानुसार निर्णित की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1510/2015 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य